

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-6/अ0-03-01/2017

पटना, दिनांक—

श्री असदुल्लाह गालिब अंसारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), विशेष अंचल, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-06.04.2026 से 19.04.2026 तक कुल 14 (चौदह) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्री अंसारी के अवकाश लेखा में (300-14=286) (दो सौ छियासी) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

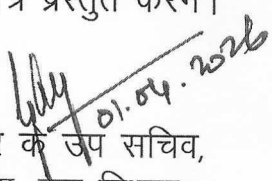
वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-01/2017 1145

/पटना, दिनांक- 01/04/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना-800015/
कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/अंचल प्रभारी, विशेष अंचल,
पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी (स्था0), एच0आर0एम0एस0,
वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं
श्री असदुल्लाह गालिब अंसारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), विशेष अंचल, पटना को इस
आशय की सूचना के साथ प्रेषित कि प्रभार ग्रहण के समय स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।


सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।